# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर०ए०एस

वाद पत्र संख्या– 10 / 2024

शिवदान वर्मा पुत्र गोमाराम जाति बलाई, निवासी–ढाणी नागान, तह0 जोबनेर, जयपुर (राज0)

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर।

....प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती नाम अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी।
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः–23.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया गया है कि वादी की आराजी ग्राम खीरवा के आराजी ख.न. 49 रकबा 0.8852 है0 जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा, खनं0 48/1 रकबा 0.6196 है0, ख0नं0 67 रकबा 0.2655 है0 ख0नं0 68 रकबा 0.7587 है0, ख0नं0 69 रकबा 0.3035 है0 किता 4 कुल रकबा 1.9473 हे0 मे वादी का 5/77 हिस्सा है। जिस पर वादी काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त अराजीयात वादी को उसके पिता स्व0 गोमाराम से विरासत मिली है। वादी के पिता गोमाराम के स्वर्गवास के पश्चात विरासत का नामांतकरण वादी की नाबालिग अवस्था में खोला गया था। वादी को बचपन में रामपाल व शिवदान वर्मा इन दोनो नामों से पुकारते थे तथा वादी को घर पर बोलचाल में रामपाल नाम से पुकारते थे। लेकिन वादी का सही एवं वास्तविक नाम शिवदान वर्मा है। परन्तु वादी की नाबालिग अवस्था में उसकी खातेदारी खसरा संख्या 49 में रामपाल पुत्र गोविन्दराम संरक्षिका माता संज्या देवी व खसरा नंबर 48/1, 67, 68, 69 में रामपाल पुत्र गोमाराम संरक्षिका माता संज्या देवी [illegible] खोला गया जबकि वादी के नाम नामांतकरण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

शिवदान वर्मा पुत्र गोमाराम के नाम खोला जाना था, क्योंकि वादी का सही नाम शिवदान वर्मा पुत्र गोमाराम ही है। वादी के सभी दस्तावेज यथा जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, श्रमकार्ड सभी में वादी का नाम शिवदान वर्मा पुत्र गोमाराम ही अंकित किया हुआ है। खातेदारी में गलत नाम अंकित होने से वादी को उक्त आराजीयात पर ऋण इत्यादि लेकर उपरोक्त आराजीयात को विकसित व उन्नत करने में परेशानियों का सामना करना पडता है। वादी ने पटवारी एवं प्रतिवादी सं0 1 के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उक्त खातेदारी में गलत नाम की दुरूस्ती किये जाने के लिए निवेदन दिनांक 30.01.2024 को किया तो उन्होने न्यायालय से आदेश लाने पर नाम की दुरूस्ती किये जाने को कहा। इसलिए यह वाद वावत दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये नोटिस जारी किए जाने पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 13/05/2024 को जवाव/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खीरवा के खसरा नं0 49 रकबा 0.8852 हे0, खसरा नं0 67 रकबा 0.2655 हे0, खसरा नं0 68 रकबा 0.7587 हे0, खसरा नं0 69 रकबा 0.3035 हे0 किता 4 रकवा 1.9473 में नाबालिग रामपाल पुत्र गोविन्दराम संरक्षिका माता सांज्या देवी हिस्सा 1/2 जाति बलाई दर्ज है। विरासत नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 03.02.1985 द्वारा नाबालिग रामपाल पुत्र गोविन्दराम संरक्षिका माता संज्या देवी दर्ज रिकार्ड हुआ है। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी द्वारा उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में नाम शिवदान पुत्र गोमाराम दर्ज है। मौके पर पटवारी हल्का द्वारा जानकारी करने पर शिवदान व रामपाल दोनों नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया है। तहसीलदार रिपोर्ट के साथ संलग्न फर्द मौका अनुसार भी शिवदान व रामपाल दोनों नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया है।

वादी ने दौराने बहस ग्राम पंचायत लोहरवाडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें शिवदान वर्मा पुत्र गोमाराम व रामपाल पुत्र गोमाराम दोनों नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया है तथा दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र एवं पेनकार्ड की फोटो प्रति पेश की है जिनमें वादी नाम शिवदान वर्मा पुत्र गोमाराम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर
सत्यमेव जयते

वाद पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र, तहसीलदार जोबनेर की जवाब/मौका रिपोर्ट एवं जवाब/मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

**क्रियात्मक आदेश**

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम खीरवा के विवादग्रस्त आराजी आराजी ख.न. 49 रकबा 0.8852 है0 जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा, खनं0 48/1 रकबा 0.6196 है0, ख0नं0 67 रकबा 0.2655 है0 ख0नं0 68 रकबा 0.7587 है0, ख0नं0 69 रकबा 0.3035 है0 किता 4 कुल रकबा 1.9473 हे0 मे वादी का 5/77 हिस्सा है। खातेदारी खसरा संख्या 49 में रामपाल पुत्र गोविन्दराम संरक्षिका माता संज्या देवी व खसरा नंबर 48/1, 67, 68, 69 में रामपाल पुत्र गोमाराम संरक्षिका माता संज्या देवी के स्थान पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में शिवदान वर्मा पुत्र गोमाराम दर्ज किए जाने के आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर
सत्यमेव जयते